

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.-123/2024]

Arvendra Kumar Amar.....Appellant

Versus

Haldhar Prasad Yadav and OthersRespondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date																						
1	2	3	4																						
	15.4.2026	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह अपील वाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-23/2023-24 में दिनांक-25.5.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">गनौरा</td> <td rowspan="5">25/ख</td> <td>2417</td> <td>0-1-0 (0-7-1 धूर में से)</td> <td>उ.-लालो मियां, द.-इस्लाम, पू.-मखन साह, प.-कार्तिक यादव</td> </tr> <tr> <td>1812</td> <td>0-1-0 (0-4-16 धूर में से)</td> <td>उ.-हलधर यादव, द.-हलधर यादव, पू.-रसीक लाल यादव, प.-हलधर यादव</td> </tr> <tr> <td>1811</td> <td>0-5-16 (0-15-6 धूर में से)</td> <td>उ.-मखन साह, द.-निज विक्रेता हाल सड़क पू.-निज वादी, प.-बिन्देश्वर यादव</td> </tr> <tr> <td>2050</td> <td>0-6-10 (0-8-2 धूर में से)</td> <td>उ.-महेश प्रसाद, द.-बैजनाथ, पू.-निज वादी, प.-निज विक्रेता हाल सड़क</td> </tr> <tr> <td>1309</td> <td>0-1-12 (0-9-16 धूर में से)</td> <td>उ.-मदन लाल यादव हाल सड़क, द.-डीहवार स्थान, पू.-हलधर यादव, प.-विकन यादव</td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक-04.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।</p> <p>अपीलार्थीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन की खरीदगी केवाला संख्या-1311/2023 के माध्यम से की गयी है। उनका कहना है कि वर्णित जमीन अपीलार्थी के भूमि विक्रेता के पिता-मो. युसूफ को बकास्त वापसी वाद संख्या-485/1957-58 द्वारा प्राप्त होने के पश्चात जमाबंदी संख्या-411 कायम हुआ। उक्त जमाबंदी से अपीलार्थी को दाखिल-खारिज हुआ। तथा जमाबंदी भाग संख्या-9 पृष्ठ संख्या-2 पर अंकित किया गया। उनका कहना है कि उभय पक्ष जमीन के क्रेता हैं। तथा यह कि विपक्षी के द्वारा उनके जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन का स्वत्व अपीलार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की खरीदगी निर्विवाद है। अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर किये जा रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>विपक्षी का कहना है कि खेसरा संख्या-1309 पर विपक्षी का घर-मकान है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन उनकी खतियानी जमीन है। उनका कहना है कि विवादी खेसरा संख्या-1309, 2050 पुराना खाता संख्या-159 की जमीन है तथा खेसरा संख्या-1812 एवं 1811 खाता संख्या-25ख की जमीन है। उनका कहना है कि खेसरा संख्या-1812, 1811 एवं 2050 की जमीन नीलाम हो गयी थी। जो बंदोबस्ती से टुनमुन सिंह को हासिल हुआ।</p>	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	गनौरा	25/ख	2417	0-1-0 (0-7-1 धूर में से)	उ.-लालो मियां, द.-इस्लाम, पू.-मखन साह, प.-कार्तिक यादव	1812	0-1-0 (0-4-16 धूर में से)	उ.-हलधर यादव, द.-हलधर यादव, पू.-रसीक लाल यादव, प.-हलधर यादव	1811	0-5-16 (0-15-6 धूर में से)	उ.-मखन साह, द.-निज विक्रेता हाल सड़क पू.-निज वादी, प.-बिन्देश्वर यादव	2050	0-6-10 (0-8-2 धूर में से)	उ.-महेश प्रसाद, द.-बैजनाथ, पू.-निज वादी, प.-निज विक्रेता हाल सड़क	1309	0-1-12 (0-9-16 धूर में से)	उ.-मदन लाल यादव हाल सड़क, द.-डीहवार स्थान, पू.-हलधर यादव, प.-विकन यादव	
मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी																					
गनौरा	25/ख	2417	0-1-0 (0-7-1 धूर में से)	उ.-लालो मियां, द.-इस्लाम, पू.-मखन साह, प.-कार्तिक यादव																					
		1812	0-1-0 (0-4-16 धूर में से)	उ.-हलधर यादव, द.-हलधर यादव, पू.-रसीक लाल यादव, प.-हलधर यादव																					
		1811	0-5-16 (0-15-6 धूर में से)	उ.-मखन साह, द.-निज विक्रेता हाल सड़क पू.-निज वादी, प.-बिन्देश्वर यादव																					
		2050	0-6-10 (0-8-2 धूर में से)	उ.-महेश प्रसाद, द.-बैजनाथ, पू.-निज वादी, प.-निज विक्रेता हाल सड़क																					
		1309	0-1-12 (0-9-16 धूर में से)	उ.-मदन लाल यादव हाल सड़क, द.-डीहवार स्थान, पू.-हलधर यादव, प.-विकन यादव																					

15.4.2026

जिसका अलग खाता-456 तथा जमाबंदी संख्या-60 कायम हुआ। बंदोस्तधारी ने निर्बंधित केवाला दिनांक-18.4.1958 द्वारा रामकिशुन यादव वगैरह को बिक्री कर दिया गया। उनका कहना है कि विपक्षीगण द्वारा केवाला दिनांक-31.11.1978 से खेसरा संख्या-1811, रकवा-10 धूर, खेसरा संख्या-1812, रकवा-1 कट्टा, खेसरा संख्या-2050, रकवा-1 कट्टा 10 धूर 10 धूरकी जमीन खरीद कर दाखिल-खारिज कराकर जमाबंदी संख्या-1415 कायम करवाया। तथा यह कि इस तरह कई बार विवादी जमीन का खरीद बिक्री हुआ जो स्वत्व का मामला है। उनका कहना है कि खेसरा संख्या-2417 की जमीन से विपक्षी का कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन अलग-अलग विक्रेता से निर्बंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। Indian Succession Act के प्रावधानों के तहत बिक्री करने वाले व्यक्ति का Title/Right का निर्धारण किये बिना क्रय करने वाले व्यक्ति का Title/Right की विवेचना किया जाना संभव नहीं है। अतः इस विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से आदेश पारित होने तक प्रश्नगत जमीन पर Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

P. K.
15/4/26.
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

P. K.
15/4/26.
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।